

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.8(9) परीक्षा क/प्राध्यापक—(स्कूल शिक्षा)/इतिहास (छात्र)/2015-18/2712 दिनांक 01.11.2017 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) — इतिहास वेतन श्रृंखला पी. बी. 2 (9300-34800) ग्रेड वेतन-4800 के पद पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित 04 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक इतिहास (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) — इतिहास के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(12)डीओपी/ए-1/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ. 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ. 14(1)एफडी/रूल्स/2014 दिनांक 24.12.14 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कर्मिकों को नियत प्रारिश्मिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कर्मिक/क-2/03 दिनांक 09.08.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-

1. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अप्रवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
3. भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किये जाने सम्बंधी अधिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट चिटीशन संख्या डी.बी. सी. डब्ल्यू. एल. 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा निरस्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन के कर्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 17(9)कर्मिक/क-2/2015 के अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2015 से भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाये।
4. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
5. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवावे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7(1)डीओपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
8. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट <http://education.rajabasthan.gov.in/> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैम्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अरविन्द कुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अध्वधीन रहेगी। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 14-12-2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

संलग्न- 04 आशार्थियों की सूची।

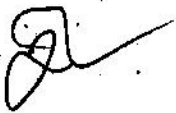

(नथमल डिबेल)

आई.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-2/नियुक्ति-इतिहास/पीएससी-15/2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक :- 30/11/17

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएससी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।



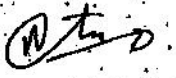

अनुवृत्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिवरा/मा/संस्था/सी-2/नियुक्ति-इतिहास/पीएसी-15/2017

दिनांक- 30/01/17.

क्र.सं.	मेरिट नं०	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थायी पता	चयन वर्ग	प्रदस्थायन स्थान (राजमावि)	जिला
1	412	BC RG	RAKESH KUMAR	DEBU RAM	10-07-1984	ग्रा0पो0 पीपरगली सीकर	GENM	डी-एस.एस.पी.डी सुरतगढ़ श्रीरंगामगर	श्रीरंगामगर
2	1949	BC WE WD RG	ASHA YADAV	RAM KUMR YADAV	25-10-1979	मकान सं. 2/150 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड दौसा	OBCF WD	ग्रा0 बहादुरपुर अलवर	अलवर
3	1954	TSP STWE WD RG	SUMAN AHARI	RAMESH CHANDRA AHARI	31-08-1978	आई-88, आई ब्लॉक, हिरणमगरी सैक्टर-14 उदयपुर	STF WD	बावण्डा-गिरवा उदयपुर	उदयपुर
4	1965	ST WE WD RG	NIRMALA KUMARI MEENA	BHEEKHA RAM MEENA	14-08-1988	ग्रा0पो0 पिलानहेडा, त० मेहवा जिला दौसा	STF WD	व्यासों का नोहरा दौसा	दौसा



(नथमल डिल्लन)

आई.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

